

 राजस्थान राजपत्र विशेषांक	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b> <i>Published by Authority</i>
	<b>कार्तिक 28, मंगलवार, शके 1941-नवम्बर 19, 2019</b> <i>Kartika 28, Tuesday, Saka 1941-November 19, 2019</i>

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुरुप-3) विभाग  
अधिसूचना  
जयपुर, सितम्बर 15, 2019

संख्या प.23(2) चिकि. एवं स्वा./गुप-3/2003/पार्ट :-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निर्दान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 57) की धारा 16क की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.07.2003 से गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड में क्रम संख्या 8 पर उल्लेखित सदस्यों के रूप में राजस्थान विधान सभा की निम्नलिखित महिला सदस्यों का मनोनयन करती है:-

- 1- श्रीमती शकुन्तला रावत, माननीय विधायक, बानसूर, अलवर।
- 2- श्रीमती नेमेला सहरिया, माननीय विधायक, किशनगंज, बांरा।
- 3- श्रीमती मंजू देवी, माननीय विधायक, जायल, नागौर।

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से  
अनिल कुमार कौशिक,  
उप शासन सचिव।

1953

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग  
क्रमांक : प.23(2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2003/पार्ट

दिनांक:

15 NOV 2019

### अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 57) की धारा 16क की उप-धारा (2) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनाक 01 07 2003 से गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड में क्रम संख्या 8 पर उल्लेखित सदस्यों के रूप में राजस्थान विधान सभा की निम्नलिखित महिला सदस्यों का मनोनयन करती हैं—

- श्रीमती शकुन्तला रावत, माननीय विधायक, बानसूर, अलवर।
- श्रीमती निर्मला सहरिया, माननीय विधायक, किशनगज, बांरा।
- श्रीमती मजू देवी, माननीय विधायक, जायल, नागौर।

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अनिल कुमार कौशिक)

उप श सन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।

14. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक आईईसी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
16. सहायक आयुक्त (पॉलिसी), स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
17. निदेशक (पी.एन.डी.टी.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
18. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
19. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेज, राजस्थान।
20. पुलिस कमीशनर जोधपुर एवं जयपुर।
21. समस्त जिला कलक्टर, राजरथान।
22. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
23. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
24. श्री बी०एस० नन्दवाना, उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
25. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
26. निदेशक, (जन स्वा०)/(प०क०)/(एडैस), मुख्यालय।
27. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
28. समस्त सयुक्त निदेशक (जोन) 'चिकित्सा' एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
29. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजरथान।
30. समस्त राजस्व उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
31. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
32. समस्त अतिरिक्त / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)/(उपखण्ड) राजस्थान।
33. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
34. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजरथान राजपत्र मे प्रकाशित करने का श्रम करे।
35. रक्षित पत्रावली।

dr  
 (अनिल कुमार कौशिक)  
 उप शासन सचिव